10-6-16

सागर

ओमी

सागर

दिनेश

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत कैम्प टोकसी पर पेश हुई। वादीगण एवं प्रतिवादी सागर उपस्थित है। पक्षकारों ने राजीनामा इस आशय का पेश किया है कि पक्षकारो ने भूमि ख०नं० 584, 585, 586 ग्राम टोकसी का विभाजन मौके पर कर रखा है जिसमें से किशोरी के वारिसान का $\frac{1}{3}$ हिस्सा, भजन्या के वारिसान का $\frac{1}{3}$ हिस्सा तथा चकर्या के वारिसान का $\frac{1}{3}$ हिस्सा है जिसके अनुसार प्रत्येक के हिस्से में 48 स्यर भूमि आई है। मौके पर 48 स्यर भूमि जो भजन्या के वारिसों के आई है वह ख०नं० 585 में आई है जिसमें से प्रति० सं०1 सागर के हि० में 12 स्यर भूमि आई है जिसमें उसने भूमि प्रति० दीपक को विक्रय कर कब्जा दीपक का करवा दिया है। दीपक केवल उसी भूमि पर काबिज रहेगा शेष भूमि पर वह कब्जा नहीं करेगा। दीपक क्रेता इससे अधिक भूमि पर कब्जा नहीं करे इसके लिए उसे पाबंद कर दिया जावे। अगर सीमाज्ञान आवश्यक हो तो पक्षकारान सीमाज्ञान करवा लेंगे। इसी आधार पर वादीगण को दावा वापस लेने की अनुमति दी जावे। भूमि का विभाजन हम सहमति से तहसील से करवा लेंगे।

प्रस्तुत राजीनामे का अवलोकन किया। राजीनामा अनुसार वाद निर्णित किया जाता है एवं वादपत्र वापिस लेने की भी अनुमति दी जाती है। राजीनामा निर्णय का हिस्सा रहेगा। पर्चा डिक्री जारी किया जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(सतीश कुमार शर्मा) (रवि कुमार शर्मा) (मुनिदेव यादव)
एडवोकेट एडवोकेट

में जा
न्याय
पीठा
मुकद
में इर
अंतिम
586 ग्र
और च
भूमि
प्रतिवा
कर वि
पाबंद
द्वारा
पर पक्ष
वापिस
गई।
1 वादप
2 शक्ति
3 प्रदर्श
4 ....
5 साक्षि
6 कमि
7 आदे

नम्बर व
अहकाम
हुक्म की
में जा

मूल वाद मे डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखंड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर गंगापुर सिटी

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) टोकसी

पीठासीन अधिकारी–: मुनिदेव यादव, आर.ए.एस.

उनवान

(उनवान पृष्ठ भाग पर अंकित है।)

दावा विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. – 97/2014

वादी की ओर से वादी समन्दर व प्रतिवादी की ओर से प्रतिवादी सागर की उपस्थिति में इस वाद मे आज तारीख 10.6.2016 को मुनिदेव यादव (पीठासीन अधिकारी) के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश दिया जाता है कि और डिक्री दी जाती है कि

लोक अदालत में पक्षकारो द्वारा प्रस्तुत राजीनामे के अनुसार भूमि ख0न0 584, 585, 586 ग्राम टोकसी का विभाजन पक्षकारो मौके पर कर रखा है तथा जिसमे से किशोरी, भजन्या और चकरया के वारिसान के 1/3 हिस्सा, 48 एयर भूमि मौके पर आई है। मौके पर 48 एयर भूमि जो भजन्या के वारिसान के हिस्से मे आई है वह ख0न0 585 मे से आई है जोकि प्रतिवादी संख्या 1 सागर के हिस्से मे है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ने भूमि का विक्रय दीपक को कर दिया है। दीपक अपने द्वारा क्रय की गई भूमि पर ही काबिज रहेगा इस हेतु दीपक को पाबंद किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 1 सागर को भी पाबंद किया जाता है कि वह उसके द्वारा बेची गई भूमि से अधिक भूमि पर क्रेता को काबिज नही होने दे तथा आवश्यकता होने पर पक्षकारान भूमि का सीमाज्ञान कराने को स्वतंत्र रहेंगे। इसी अनुसार वादीगण को वाद वापिस लेने की अनुमति भी दी जाती है। राजीनामा निर्णय का हिस्सा रहेगा।

खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेगे।

यह आज तारीख 10.6.2016 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

कार्यालय-उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी (स.मा.)
सत्यमेव जयते

मुनिदेव यादव
उपखंड अधिकारी
गंगापुर सिटी

उप जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1 वादपत्र के लिए स्टाम्प 2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3 प्रदर्शो के लिए स्टाम्प 4 ....रूपये पर प्लीडर की फीस 5 साक्षियो के लिए निर्वाह व्यय 6 कमिश्नर की फीस 7 आदेशिका की तामील		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियो के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड		जोड	

उनवान

1. समन्दर पुत्र भजन्या जोगी निवासी टोकसी तह0 गंगापुर सिटी
2. ओमी पुत्र भजन्या जोगी निवासी टोकसी तह0 गंगापुर सिटी
3. धनेश पुत्री भजन्या पत्नी कैलाश जोगी निवासी सलावद तह0 नादौती

बनाम

1. सागर पुत्र भजन्या जोगी निवासी टोकसी तह0 गंगापुर सिटी
2. दीपक कावटा पुत्र धनसिंह मीना निवासी टोकसी तह0 गंगापुर सिटी
3. भरोसी पुत्र बंदरया उर्फ चकरा जोगी निवासी टोकसी तह0 गंगापुर सिटी
4. पुखराज पुत्र बंदरया उर्फ चकरा जोगी निवासीं टोकसी तह0 गंगापुर सिटी
5. भौरी बेबा चकरया जोगी निवासी टोकसी तह0 गंगापुर सिटी
6. मुन्नी पुत्री बंदरया उर्फ चकरया जोगी निवासीं टोकसी तह0 गंगापुर सिटी
7. मनोज पुत्र पूरण जोगी निवासी टोकसी तह0 गंगापुर सिटी
8. हल्की बेबा पूरण जोगी निवासी टोकसी तह0 गंगापुर सिटी
9. नीरज पुत्री पूरण जोगी निवासी टोकसी तह0 गंगापुर सिटी
10. सन्नो पुत्री पूरण जोगी निवासी टोकसी तह0 गंगापुर सिटी
11. सब्बो पुत्र किशोरी जोगी निवासी टोकसी तह0 गंगापुर सिटी
12. लिखमी पुत्र किशोरी जोगी निवासी टोकसी तह0 गंगापुर सिटी
13. पृथ्वी पुत्र किशोरी जोगी निवासी टोकसी तह0 गंगापुर सिटी
14. सुमेरया पुत्र किशोरी जोगी निवासी टोकसी तह0 गंगापुर सिटी
15. सरकार जरिए लेड होल्डर तहसीलदार तह0 गंगापुर सिटी ——प्रतिव

दावा विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

टी

0 नादौती

ुर सिटी
ंगापुर सिटी
गंगापुर सिटी

गंगापुर सिटी

टी

टी

——प्रतिवा

प्रपत्र-4

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर........ गंगापुर सिटी
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कैम्प कोर्ट)
कैम्प कोर्ट का स्थान :- टोडाभीम

राजीनामा प्रपत्र

...न् पीठासीन अधिकारी महोदय .... दिनांक 10/6/16

...- टोडाभीम

समन्दर वगैरह .... बनाम .... सागर वगैरह

...ण संख्या :- 97/14 .... अन्तर्गत धारा .... 53, 188 R.T. Act

...युक्त प्रकरण में प्रार्थी / वादी श्री .... समन्दर, ओमी, धनेशा ....
...है कि उक्त उनवान का प्रकरण आपके न्यायालय में लम्बित है। उक्त प्रकरण में हम पक्षकारों के बीच सुलह हो ...अब हमारे बीच कोई विवाद नही रहा है। हम पक्षकारों के बीच सम्बन्ध अच्छे हो चुके हैं। ...सा आपसी राजीनामा निम्नानुसार तय हुआ है : कि हम पक्षकारान ने खसरा नं. 584, 586 ग्राम-टोडाभीम का विभाजन मौके पर कर लिया है [illegible]

...नसे निवेदन है, कि हमारा राजीनामा तस्दीक कर मुकदमे का निस्तारण करने की कृपा करें।

ओमी .... प्रतिवादी पक्ष 1. .... सागर

समन्दर .... 2. ....

धनेशी .... 3. ....

4. ....

...के हस्ताक्षर .... पहचानकर्ता के हस्ताक्षर ....

नाम .... (प्रतिवादी पक्ष) नाम ....

...वादी समन्दर / ओमी, धनेशी .... एवं अप्रार्थी / प्रतिवादी .... सागर ....
...द्वारा सम्मिलित रूप से राजीनामा पेश किया गया है। राजीनामे की इबारत को सुन व समझ कर सही होना ...गया। अतः राजीनामा हस्बख्वाहिश पक्षकार तस्दीक किया जाता है। राजीनामा शामिल मिसल रहे।

(ह० सदस्य) (ह० सदस्य) (ह० सदस्य) (ह० सदस्य)

सतीश कुमार शर्मा
एडवोकेट
सदस्य
लोक अदालत
गंगापुर सिटी

(रवि कुमार शर्मा)
एडवोकेट
सदस्य
लोक अदालत
गंगापुर सिटी

(मुनिदेव यादव)
अध्यक्ष
पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत
गंगापुर सिटी एवं
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी